न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोडाभीम

वा- मोहनलाल पुत्र रामकिशन निवासी बनाम गोपालजी महाराज ग्राम नदेश्वर

गेंदालाल शर्मा

31-5-18

दावा 88,188 प्र.सं. 310/2015

पक्षकारान मय पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट नदेश्वर ग्राम में पेश हुई। वादी विष्णु मौके पर उपस्थित है। पक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

वादग्रस्त भूमि के साबिक ख.न. 653 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा सं. 2019 मालिक मंदिर श्री गोपालजी महाराज पुजारी जगन्नाथ पुत्र मोतीलाल कौम ब्रा. के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा नकल जमाबन्दी ग्राम नदेश्वर सं. 2030 से 2033 में खाता संख्या 248 भगवान सहाय पुत्र जगन्नाथ कौम ब्रा. सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। मिलान खसरा संवत् 2041 से 2060 में साबिक ख.न. 653 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा के हाल ख.न. $\frac{1858}{0.81}$, $\frac{1859}{0.57}$, $\frac{1860}{0.37}$, $\frac{1861}{0.21}$, तथा $\frac{1862}{0.27}$ बनाये गये हैं जो साबिक रिकार्ड के अनुसार वादीगण की भूमि होना पाया जाता है। हाल रिकार्ड नकल जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 के खाता संख्या 316 में उक्त वादग्रस्त भूमि पुजारी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है जो वादी के खाते की भूमि है। अतः वादी का दावा

इसी वादी के [illegible]

स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि ख.नं. 1858/0.81,

1859/0.57, 1860/0.37, 1861/0.21 तथा 1862/0.27 है० भूमि को प्रतिवादी के

खाते से कम करके नाम वादी के खातेदारी की आधी हिस्सा की

जाती है। तहसीलदार टोंक को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि

प्रतिवादी के खाते से कम की जाकर वादी के खाते में दर्ज कराई

किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार टोंक को तहरीर जावे।

पत्र डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर

मुन्सरिम से कमह बाबाद तकमील दाखिल दफ्तर

भण्डार हो। निर्णय खुली लोक अदालत कैम्प कोर्ट

मेहन्दवास कस्बा के मजमे आम में लिखवाया जाकर

सुनाया गया।

[signature]

सहायक कलक्टर
टोंक